

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या- 584/24-पी-2-22-सा0(34)2021

लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री संजय कुमार दत्त को निदेशक(प्रोजेक्ट एण्ड कामर्शियल), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री संजय कुमार दत्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री संजय कुमार दत्त पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्तें लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 584 (1) /24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 585/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राकेश प्रसाद को निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री राकेश प्रसाद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री राकेश प्रसाद पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 58501/24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 586 / 24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री पीयूष गर्ग को निदेशक(आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री पीयूष गर्ग कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री पीयूष गर्ग पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री पीयूष गर्ग के निदेशक(आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 586(1)/24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या-~~507~~/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राजीव कुमार को निदेशक(कार्य एवं परियोजना), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री राजीव कुमार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री राजीव कुमार पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: ~~507(1)~~/24-पी-2-2022, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
  - 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
  - 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
  - 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
  - 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
  - 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
  - 7- सम्बन्धित अधिकारी।
  - 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
  - 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
  - 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
  - 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
  - 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 508/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री अमित कुमार श्रीवास्तव को निदेशक(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री अमित कुमार श्रीवास्तव कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री अमित कुमार श्रीवास्तव पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री अमित कुमार श्रीवास्तव के निदेशक(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 508(1)/24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 589/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सर्वजीत घोष को निदेशक(आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री सर्वजीत घोष कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री सर्वजीत घोष पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्तें लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 589C1/24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या-590 /24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री कमलेश बहादुर सिंह को निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री कमलेश बहादुर सिंह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री कमलेश बहादुर सिंह पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 590(1) /24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 591 / 24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री हेमेन्द्र कुमार अग्रवाल को निदेशक(वित्त), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री हेमेन्द्र कुमार अग्रवाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री हेमेन्द्र कुमार अग्रवाल पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्तें लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री हेमेन्द्र कुमार अग्रवाल के निदेशक(वित्त), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 591(1)/24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 592/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022  
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री संतोष कुमार जाडिया को निदेशक(वित्त), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री संतोष कुमार जाडिया कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री संतोष कुमार जाडिया पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्तें लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 592(11)/24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
15/5/22  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 593/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022  
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री निधि कुमार नारंग को निदेशक(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री निधि कुमार नारंग कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री निधि कुमार नारंग पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्तें लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 593 (1) /24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 594/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को निदेशक(तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्तें लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के निदेशक(तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 594(1)/24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या-595/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री मृगांक शेखर दास भट्टामिश्रा को निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री मृगांक शेखर दास भट्टामिश्रा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री मृगांक शेखर दास भट्टामिश्रा पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्तें लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 595(1)/24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
15/5  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 596/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सचीन्द्र कुमार पुरवार को निदेशक(पी0 एण्ड एम0), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री सचीन्द्र कुमार पुरवार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री सचीन्द्र कुमार पुरवार पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्तें लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री सचीन्द्र कुमार पुरवार के निदेशक(पी0 एण्ड एम0), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 596(1)/24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 597/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राजेन्द्र प्रसाद को निदेशक(वाणिज्य), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री राजेन्द्र प्रसाद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री राजेन्द्र प्रसाद के निदेशक(वाणिज्य), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 597(1)/24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 598/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राजीव शर्मा को निदेशक(का0 एवं प्र0), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री राजीव शर्मा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री राजीव शर्मा पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री राजीव शर्मा के निदेशक(का0 एवं प्र0), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 598(1)/24-पी-2-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 599/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री योगेश कुमार को निदेशक(वाणिज्य), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) श्री योगेश कुमार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री योगेश कुमार पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री योगेश कुमार के निदेशक(वाणिज्य), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम0 देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 599(1)/24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।